



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 940]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2009/ज्येष्ठ 28, 1931

No. 940]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2009/JYAISTHA 28, 1931

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2009

का.आ. 1508(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियमावली, 1985 के नियम 3 और 4 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिक्रमण से पहले की गयी कार्रवाई अथवा न की गई कार्रवाई को छोड़कर पिछली अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का निम्नलिखित अनुसार पुनर्गठन करती है :—

- | | |
|---|----------|
| 1. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री | —अध्यक्ष |
| 2. हरियाणा के मुख्य मंत्री | —सदस्य |
| 3. राजस्थान के मुख्य मंत्री | —सदस्य |
| 4. उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री | —सदस्य |
| 5. उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | —सदस्य |
| 6. हरियाणा सरकार के नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री | —सदस्य |
| 7. हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव | —सदस्य |

- | | |
|--|-----------------|
| 8. राजस्थान सरकार के शहरी विकास मंत्री | —सदस्य |
| 9. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार | —सदस्य |
| 10. शहरी विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार | —सदस्य |
| 11. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार | —सदस्य |
| 12. दिल्ली की मुख्यमंत्री | —सदस्य |
| 13. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार | —सदस्य |
| 14. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार | —सदस्य |
| 15. शहरी विकास राज्य मंत्री | —सदस्य |
| 16. मुख्य नगर नियोजक, नगर व ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार | —सदस्य |
| 17. ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार | —सदस्य |
| 18. संचार मंत्री, भारत सरकार | —सदस्य |
| 19. रेल मंत्री, भारत सरकार | —सदस्य |
| 20. भूतल परिवहन मंत्री, भारत सरकार | —सदस्य |
| 21. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड | —सदस्य-
सचिव |

[सं. के-11019/2/2009-डीडी-VI]

पी.टी. जेम्स कुट्टी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**(Delhi Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2009

S.O. 1508(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985) read with rules 3 and 4 of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985 and in supersession of the earlier Notifications except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes the National Capital Region Planning Board as follows :—

- | | | | |
|---|-----------|---|---------------|
| 1. Union Minister of Urban Development | —Chairman | 9. Chief Secretary, Govt. of Rajasthan | —Member |
| 2. Chief Minister of Haryana | —Member | 10. Minister, Urban Development, Govt. of Uttar Pradesh | —Member |
| 3. Chief Minister of Rajasthan | —Member | 11. Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh | —Member |
| 4. Chief Minister of Uttar Pradesh | —Member | 12. Chief Minister of Delhi | —Member |
| 5. Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi | —Member | 13. Chief Secretary, Govt. of National Capital Territory of Delhi | —Member |
| 6. Minister of Town and Country Planning Govt. of Haryana | —Member | 14. Secretary, Ministry of Urban Development, Govt. of India | —Member |
| 7. Chief Secretary, Govt. of Haryana | —Member | 15. Minister of State for Urban Development, Govt. of India | —Member |
| 8. Minister of Urban Development, Govt. of Rajasthan | —Member | 16. Chief Town Planner, Town and Country Planning Organisation, Government of India | —Member |
| | | 17. Minister for Power, Govt. of India | —Member |
| | | 18. Minister for Telecommunication, Govt. of India | —Member |
| | | 19. Minister for Railways, Govt. of India | —Member |
| | | 20. Minister for Surface Transport, Govt. of India | —Member |
| | | 21. Member Secretary, National Capital Region Planning Board | —Member-Secy. |

[No. K-11019/2/2009-DD-VI]

P.T. JAMESKUTTY, Under Secy.